बिहार सरकार
राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग
(भू–अर्जन निदेशालय)

जिला भू–अर्जन पदाधिकारियों की राज्यस्तरीय मासिक बैठक दिनांक–20.02.2016 की कार्यवाही।

1. उपस्थितिः– पंजी के अनुसार।
2. बैठक को प्रधान सचिव, राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग तथा निदेशक भू–अर्जन, बिहार, पटना द्वारा संबोधित किया गया। प्रधान सचिव महोदय द्वारा सर्वप्रथम उपस्थित सभी जिला भू अर्जन पदाधिकारियों को विभिन्न केन्द्रीय एवं राजकीय परियोजनाओं हेतु भूमि अधिग्रहण कार्य की महत्ता से अवगत कराया गया तथा परियोजनाओं हेतु भू–अर्जन की कार्रवाई समय सीमा के भीतर सुनिश्चित करने का निदेश दिया गया। साथ ही, हितबद्ध रैयतों को ससमय शत–प्रतिशत मुआवजा भुगतान की कार्रवाई सुनिश्चित करने का निदेश दिया गया। भू अर्जन की कार्रवाई में अपनाई जाने वाली प्रकिया/प्रावधान अथवा RFCTLARR Act–2013 के प्रावधानों से संबंधित विषयों पर संशय की स्थिति में निदेशक, भू अर्जन एवं सहायक निदेशक, भू–अर्जन से दूरभाष के माध्यम से संपर्क कर समाधान सुनिश्चित करने के संबंध में भी निदेश दिया गया।
3. RFCTLARR Act–2013 के तहत भू–अर्जन/भूमि अर्जन, पुनर्वास और पुनर्व्यवस्थापन प्राधिकार के लिए कार्यालय/कार्य–स्थल की व्यवस्था हेतु सरकारी भवन चिन्हित करने, प्राधिकार के अंतर्गत गुप–सी0 एवं डी0 के कर्मियों का पदस्थापन, उपस्कर की व्यवस्था, प्राधिकार के लिए भाडे पर वाहन की व्यवस्था इत्यादि के लिए जिला भू–अर्जन पदाधिकारी, पटना/गया/भागलपुर/मुंगेर/दरभंगा/पूर्णियां एवं सहरसा को प्रधान सचिव महोदय द्वारा दिनांक–29.02.2016 तक उक्त सभी कार्य समाहर्त्ता के माध्यम से पूर्ण करते हुए प्रतिवेदन विभाग को उपलब्ध कराने का निदेश दिया गया। एतदर्थ सभी समाहर्त्ताओं को विभाग स्तर से पुनः स्मार पत्र भेजने का निदेश दिया गया।
4. कतिपय जिला भू–अर्जन पदाधिकारियों द्वारा विभाग/सरकार स्तर से सीधे पत्राचार किये जाने के विषय पर निदेशक, भू–अर्जन द्वारा सभी जिला भू–अर्जन पदाधिकारियों को निदेश दिया गया कि विभाग से सीधे पत्राचार न करते हुये समाहर्त्ता के माध्यम से पत्राचार किया जाय।
5. सभी जिला भू अर्जन पदाधिकारियों को निदेश दिया गया कि कि भू–अर्जन हेतु अधियाचना प्राप्त होने के उपरान्त सर्वप्रथम बिहार भू–अर्जन नियमावली– 2014 के प्रावधानों के तहत प्रस्ताव की जांच कर ली जाय एवं तदोपरान्त संभावित व्यय का आकलन कर अनुमानित प्राक्कलित राशि की मांग अधियाची विभाग/प्राधिकार से की जाय। अधियाची विभाग से राशि प्राप्त होने के उपरान्त ही एस0आई0ए0 की प्रकिया प्रारम्भ करने हेतु राज्य एस0आई0ए0 इकाई से पत्राचार प्रारम्भ किया जाय। एस0आई0ए0 इकाई से TOR तथा Budget Estimate प्राप्त होने के उपरान्त एस0आई0ए0 कार्य प्रारम्भ करने हेतु SIA शुल्क का 50 प्रतिशत राशि निर्गत करते हुये एस0आई0ए0 की अधिसूचना प्रकाशित किया जाय। तदोपरान्त एस0आई0ए0 के लिए एस0आई0ए0 इकाई द्वारा समर्पित बजट प्राक्कलन के आलोक में अधियाची विभाग से राशि की मांग किया जाय। एस0आई0ए0 हेतु शेष 50 प्रतिशत अधियाची विभाग से राशि प्राप्त होने तथा एस0आई0ए0 का कार्य पूर्ण होने के उपरान्त ही राज्य एस0आई0ए0 इकाई को उपलब्ध कराया जाय। इस संबंध में निर्गत विभागीय पत्रांक 182, दिनांक 29.01.16 के साथ संलग्न कार्यवाही के आलोक में अग्रेतर कार्रवाई सुनिश्चित किया जाय।

6. पटना जिलान्तर्गत चल रही विभिन्न परियोजनाओं से संबंधित भू अर्जन की समीक्षात्मक बैठक में रेलवे के पदाधिकारियों को भी शामिल करने हेतु समाहर्त्ता, पटना को दूरभाष पर प्रधान सचिव महोदय द्वारा निदेश दिया गया।

7. जिला स्तर पर चल रही विभिन्न केन्द्रीय/राजकीय परियोजनाओं के तहत अर्जित/अधिग्रहित की जानेवाली भूमि से संबंधित भू अर्जन से संबंधित साप्ताहिक समीक्षात्मक बैठक जिला स्तर आयोजित करने के संबंध में सभी समाहर्ताओं को विभाग स्तर से पत्र प्रेषित करने हेतु प्रधान सचिव महोदय द्वारा निदेश दिया गया।

8. पुराने भूमि अर्जन अधिनियम 1894 यथा संशोधित अधिनियम 1984 के तहत विभिन्न परियोजनाओं हेतु अर्जित/अधिग्रहित की जानेवाली भूमि के जिन मामलों में माननीय उच्च न्यायालय/माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा नये सिरे से भू अर्जन की कार्रवाई करने के संबंध में आदेश पारित किया गया हो, तो उन मामलों में न्यायालय द्वारा पारित आदेश के आलोक में भू–अर्जन की कार्रवाई निर्धारित समय–सीमा भीतर पूर्ण करने हेतु निदेश दिया गया। ऐसे मामलों में अधियाचना प्राप्त होने के उपरान्त सीधे अधिनियम की धारा–11 के अंतर्गत प्रकिया प्रारम्भ किया जाय। प्रधान सचिव महोदय द्वारा सभी जिला भू–अर्जन पदाधिकारियों को ऐसे मामलों में आवश्यकतानुसार विभाग से मार्गदर्शन प्राप्त करने का भी निदेश दिया गया।

9. प्रधान सचिव महोदय द्वारा पुनः सभी जिला भू अर्जन पदाधिकारियों को निदेश दिया गया कि अर्जनाधीन भूमि का पंचाट (अवार्ड) घोषित करने के बाद शत–प्रतिशत मुआवजा भुगतान किया जाय एवं तदोपरान्त ही दखल कब्जा अधियाची विभाग को सौंपा जाय।

10. बैठक में पुराने भूमि अर्जन अधिनियम 1894 यथा संशोधित अधिनियम 1984 के अंतर्गत प्रारम्भ किये गये भूमि अर्जन के तहत कतिपय परियोजनाओं में प्राक्कलन स्वीकृति/पंचाट घोषणा एवं शत–प्रतिशत मुआवजा भुगतान की कार्रवाई लंबित रहने की सूचना पर प्रधान सचिव महोदय द्वारा अप्रसन्नता व्यक्त की गई तथा ऐसे मामलों में 15 दिनों के भीतर कार्रवाई पूरी करने का निदेश दिया गया। साथ ही, सभी समाहर्त्ताओं से इस आशय का प्रमाण पत्र की मांग करने का भी निदेश दिया गया कि ऐसे मामले अब लंबित नहीं है।

11. बैठक में उपस्थित जिला भू–अर्जन पदाधिकारियों द्वारा बताया गया कि राज्य के कतिपय जिलों में बिहार राज्य पुल निर्माण निगम द्वारा बगैर भूमि अर्जन किये ही निजी (रैयती) जमीन पर निर्माण कार्य प्रारम्भ कर दिया गया है। साथ ही, कतिपय स्थलों पर पुल का निर्माण भी हो गया है, परन्तु पहुंच पथ के लिए भूमि का अर्जन नहीं किया गया है तथा बिना भूमि अर्जन किये ही पहुंच पथ का निर्माण कार्य पूर्ण कर लिया गया है।

इस विषय पर बैठक में उपस्थति बिहार राज्य पुल निर्माण निगम के प्रतिनिधि को निदेश दिया गया कि बगैर भूमि अर्जन किये हुये निजी (रैयती) जमीन पर निर्माण कार्य नहीं किया जाय तथा ऐसे मामले की जांच अविलम्ब की जाय एवं तद्नुसार अपेक्षित कार्रवाई त्वरित गति से की जाय। पुल अथवा उनके पहुंच पथ के निर्माण हेतु बिना भूमि अधिग्रहण के पुल अथवा पहुंच पथ का निर्माण हो गया हो तो बिहार रैयती भूमि लीज नीति– 2014 के प्रावधानों के अनुसार कार्रवाई सुनिश्चित करने हेतु निदेश दिया गया।

12. RFCTLARR Act–2013 के तहत अधिसूचना में प्रकाशित भूमि के किस्म/प्रकृति के विरूद्ध अगर रैयतों द्वारा आपत्ति दी जा रही हो तो, उन मामलों में समाहर्त्ता की अध्यक्षता में छः सदस्यीय समिति का गठन कर नियमानुकूल कार्रवाई सुनिश्चित करने हेतु निदेश दिया गया।

13. भू–अर्जन परियोजना हेतु चयनित एस0आइ0ए0 संस्थानों द्वारा आवश्यकता से अधिक राशि की मांग करने पर संबंधित एस0आइ0ए0 संस्थानों से प्रेषित प्रस्ताव को वापस प्राप्त करते हुए अन्य राज्य एस0आइ0ए0 संस्थाओं को एस0आइ0ए0 अध्ययन हेतु प्रस्ताव भेजने के संबंध में सभी जिला भू अर्जन पदाधिकारियों को प्रधान सचिव महोदय द्वारा निदेश दिया गया। Consultant/NGO

को एस0आइ0ए0 अध्ययन करने हेतु राज्य सरकार द्वारा शीघ्र अधिसूचित किये जाने के संबंध में सभी जिला भू अर्जन पदाधिकारियों को प्रधान सचिव महोदय द्वारा अवगत कराया गया।

14. विभिन्न परियोजनाओं से संबंधित प्रस्ताव पर किये जानेवाले सामाजिक प्रभाव मूल्यांकन अध्ययन के संबंध में ए0एन0सिन्हा संस्थान, पटना के उपस्थित पदाधिकारियेां को लंबित प्रस्ताव के संबंध में आंतरिक समीक्षा करने हेतु प्रधान सचिव महोदय द्वारा निदेश दिया गया। साथ ही, एस0आई0ए0 शुल्क निर्धारण के संबंध में आंतरिक समीक्षा करने हेतु भी ए0एन0सिन्हा संस्थान, पटना के उपस्थित पदाधिकारियेां को निदेश दिया गया।

15. RFCTLARR Act–2013 के अंतर्गत प्रारम्भ किये गये भू–अर्जन परियोजना में किये जा रहे एस0आई0ए0 कार्यों की समीक्षा बैठक में उपस्थित एस0आई0ए0 संस्थानों के अधिकारियों के साथ की गई। प्रधान सचिव, राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग द्वारा उपस्थित एस0आई0ए0 संस्थानों के प्रतिनिधियों को निदेश दिया गया कि राजस्व विभागीय पत्रांक–182 दिनांक–29.01.2016 द्वारा संसूचित कार्रवाई में वर्णित प्रावधानों/तथ्यों के आलोक में निर्धारित समय सीमा के भीतर एस0आई0ए0 की कार्रवाई सुनिश्चित किया जाय।

एस0आई0ए0 शुल्क के संबंध में प्रधान सचिव महोदय द्वारा सभी जिला भू–अर्जन पदाधिकारियों को निदेश दिया गया राज्य एस0आई0ए0 संस्था द्वारा समर्पित TOR एवं बजट प्रस्तावों की समीक्षा कर राशि उपलब्ध कराया जाय।

16. बैठक में अनुपस्थित यथा–औरंगाबाद, सुपौल एवं कैमूर के जिला भू अर्जन पदाधिकारियेां के साथ अलग से बैठक आयोजित कर संबंधित जिलों के अंतर्गत चल रही परियोजनाओं की समीक्षा करने हेतु प्रधान सचिव महोदय द्वारा निदेश दिया गया।

17. जिला भू अर्जन पदाधिकारी, सुपौल द्वारा बैठक में अनुपस्थित रहने के कारण सुपौल जिला से संबंधित विभिन्न परियोजनाओं की समीक्षा नहीं की जा सकी। इस संबंध में प्रधान सचिव महोदय द्वार निदेश दिया गया कि जिला भू–अर्जन पदाधिकरी द्वारा अनुपस्थित रहने के लिए समाहर्ता स्तर से स्पष्टीकरण प्राप्त की जाय।

18. भारत–नेपाल सीमा पथ परियोजना के तहत प्राप्त होनेवाले प्रस्तावों में कतिपय त्रुटियॉं पाये जाने के संबंध में प्रधान सचिव महोदय द्वारा संबंधित जिला भू–अर्जन पदाधिकारियों को निदेश दिया गया कि त्रुटिरहित प्रस्ताव विभाग स्तर पर उपलब्ध कराया जाय। साथ ही, विभाग स्तर से की जा रही त्रुटियों/पृच्छाओं का यथाशीघ्र निराकरण प्रतिवेदन विभाग को उपलब्ध कराने के संबंध में संबंधित जिला भू अर्जन पदाधिकारियों को निदेश दिया गया।

19. सभी जिला भू अर्जन पदाधिकारियों/अधियाची विभागों को सूचित किया गया कि माह– अप्रैल, 2016 में विभाग द्वारा ASCI हैदराबाद के सहयोग से SIA, R&R एवं RFCTLARR Act-2013 के संबंध में कार्यशाला/प्रशिक्षण कार्यक्रम का आयोजन प्रस्तावित है। अतः उक्त विषयों से संबंधित प्रश्न निदेशक, भू–अर्जन, बिहार, पटना के मेल पर भेजने हेतु प्रधान सचिव महोदय द्वारा निदेश दिया गया।

20. सभी जिला भू अर्जन पदाधिकारियों को निदेश दिया गया कि ए0एन0सिन्हा संस्थान, पटना के पास वर्त्तमान में कुल 50 से अधिक परियोजनाओं का सामाजिक प्रभाव मूल्यांकन कार्य हेतु प्रस्ताव लंबित है। अतएव नये भू–अर्जन परियोजनाओं के लिए एस0आई0ए0 प्रस्ताव अन्य दो राज्य एस0आई0ए0 इकाई यथा–आद्री, पटना/ सी0 आई0 एम0 पी0, चन्द्रगुप्त, पटना को भेजी जाय।

21. सर्वप्रथम बैठक में पथ निर्माण विभाग से संबंधित विभिन्न परियोजनाओं यथा–एस.एच., एन.एच, गंगा पथ एवं भारत–नेपाल सीमा पथ परियोजना की समीक्षा की गई।

22. एन0एच0–98 **पटना जिलान्तर्गत** कुल प्रस्ताव–12, घोषित पंचाट की सं0–10, दखल कब्जा की सं0–02, अधियाची विभाग से प्राप्त राशि–33.43 करोड। मुआवजा भुगतान की राशि–26.68 करोड़। प्राथमिकता के आधार पर विक्रम–वाईपास में दिनांक 05.03.16 तक मुआवजा भुगतान सुनिश्चित करने हेतु निदेश दिया गया है। शेष वकास्त भूमि से संबंधित 47 मामलों में अबिलम्ब कार्रवाई करने के संबंध में निदेश दिया गया। **अरवल जिलान्तर्गत** कुल प्राप्त राशि 11.0568 करोड़, मुआवजा भुगतान की राशि–5.35 करोड। शेष मुआवजा भुगतान की राशि में से 2.71 करोड राशि अधियाची विभाग को वापस करने हेतु एवं 3.00 करोड राशि को हितबद्ध रैयतों को मुआवजा भुगतान करने हेतु निदेश दिया गया। हितबद्ध रैयतों को एल0पी0सी0 जारी करने के संबंध में अंचलाधिकारी, कलेर को दूरभाष के माध्यम से निदेश दिया गया।

23. एन0एच0–30ए–**पटना जिलान्तर्गत** कुल प्राप्त राशि–20.00 करोड। मुआवजा भुगतान की राशि–16.00 करोड़। लक्ष्य– 4.00 करोड़ दिनांक 29.02.16 तक मुआवजा भुगतान करने हेतु निदेश दिया गया। **नालंदा जिलान्तर्गत** कुल प्राप्त राशि–15.60 करोड। मुआवजा भुगतान की राशि–7. 13 करोड़। 5.00 करोड़ मुआवजा भुगतान की राशि अगले बैठक के पूर्व हितबद्ध रैयतों को मुआवजा भुगतान करने हेतु प्रधान सचिव महोदय द्वारा लक्ष्य दिया गया।

24. एन0एच0–104– **सीतामढी जिलान्तर्गत** कुल प्राप्त राशि–19.71 करोड, मुआवजा भुगतान की राशि–11.00 करोड़। अगले बैठक तक 8.00 करोड़ राशि मुआवजा भुगतान करने हेतु निदेश दिया गया है। **शिवहर जिलान्तर्गत** कुल प्राप्त राशि–15.00 करोड, मुआवजा भुगतान की राशि–13.51 करोड। 1.50 करोड़ राशि दिनांक 15.03.16 तक मुआवजा भुगतान करने हेतु प्रधान सचिव महोदय द्वारा निदेश दिया गया। **मधुबनी जिलान्तर्गत** कुल प्राप्त राशि–34.00 करोड, मुआवजा भुगतान की प्रकिया शुरू करने हेतु निदेश दिया गया।

25. एन0एच0–106– **सुपौल जिलान्तर्गत** कुल प्राप्त राशि–56.16 करोड, मुआवजा भुगतान की राशि–25.53 करोड। 15.00 करोड़ राशि अगले बैठक के पूर्व मुआवजा भुगतान करने हेतु प्रधान सचिव महोदय द्वारा निदेश दिया गया।

26. एन0एच0–104 – **प0 चम्पारण जिलान्तर्गत**– 3 जी0 स्वीकृति हेतु आर0सी0डी0 स्तर पर लंबित है। **शिवहर जिलान्तर्गत**– 3 जी0 स्वीकृति हेतु आर0सी0डी0 स्तर पर लंबित है।

27. एन0एच0–80 (घोरघट पुल)– **मुंगेर जिलान्तर्गत** कुल प्राप्त राशि–6.00 करोड़। दर निर्धारण लंबित रहने के कारण मुआवजा भुगतान की कार्रवाई लंबित। मुआवजा भुगतान की शेष राशि रेफरेंस कोर्ट में जमा करते हुये विस्तृत प्रतिवेदन समाहर्त्ता स्तर से विभाग को उपलब्ध कराने हेतु प्रधान सचिव महोदय द्वारा निदेश दिया गया। **भागलपुर जिलान्तर्गत** कुल प्राप्त राशि–59.00 लाख, मुआवजा भुगतान की राशि–14.00 लाख। 9 रैयतों में से 6 रैयतों का मुआवजा भुगतान किया गया है। 03 रैयतो का मुआवजा भुगतान लंबित।

28. एन0एच0–102– **सारण जिलान्तर्गत** 3ए प्रस्ताव एन0एच0ए0आइ0 को सौंपने हेतु जिला भू अर्जन पदाधिकारी, सारण को निदेशित किया गया।

29. एन0एच0–30–जिला भू–अर्जन पदाधिकारी, रोहतास द्वारा बताया गया कि NH-30 निर्माण के लिए अधिग्रहित भूमि का मुआवजा भुगतान लंबित है तथा अधियाची विभाग (पथ निर्माण विभाग) द्वारा राशि उपलब्ध नहीं कराया जा रहा है। इस संबंध में पृच्छा किये जाने पर बैठक में उपस्थित पथ निर्माण विभाग के पदाधिकारियों द्वारा बताया गया कि प्रश्नगत सड़क परियोजना, भारत सरकार के भूतल परिवहन एवं राष्ट्रीय राजमार्ग मंत्रालय की योजना है, जिसे पथ निर्माण विभाग, बिहार द्वारा कार्यान्वित किया जा रहा है। सड़क निर्माण कार्य वर्त्तमान में स्थगित है। प्रधान सचिव महोदय द्वारा उन्हें निदेशित किया गया कि अर्जनाधीन भूमि से संबंधित बकाया मुआवजा भुगतान पर अविलम्ब विभाग द्वारा निर्णय लिया जाय, ताकि रैयतों को मुआवजा राशि का भुगातन किया जा सके। साथ ही, इस परियोजना के लिए शेष भू–अर्जन पर अविलम्ब निर्णय लेने का भी निदेश दिया गया।

30. एस0एच0–78 :– **पटना जिलान्तर्गत** 102 प्रस्ताव (पुराने अधिनियम के तहत) में से 69 प्रस्ताव का प्राक्कलन स्वीकृत, घोषित पंचाट की सं0– 54, अधियाची विभाग से कुल प्राप्त राशि 205.00 करोड़ में से 180.00 करोड मुआवजा भुगतान हितबद्ध रैयतों को किया गया है। शेष मुआवजा भुगतान अगली बैठक के पूर्व मुआवजा भुगतान सुनिश्चित करने हेतु निदेश दिया गया है। BSRDC के प्रतिनिधियों द्वारा बताया गया कि पुराने अधिनियम के तहत घोषित पंचाट के तहत 2800 भू–धारियों का 20 प्रतिशत अवशेष राशि अबतक लंबित रखा गया है। उक्त के आलोक में प्रधान सचिव द्वारा निदेश दिया गया कि अविलम्ब मुआवजा भुगतान की कार्रवाई सुनिश्चित किया जाय। **नालंदा जिलान्तर्गत**– कुल प्राप्त राशि 132.00 में से 103.00 करोड़ मुआवजा भुगतान किया गया है तथा 10.00 करोड़ राशि दिनांक 15.03.2016 तक भुगतान करने हेतु निदेश दिया गया है।

31. एस0एच0–81–**मोजपुर जिलान्तर्गत**–कुल प्राप्त राशि 21.00 करोड। मुआवजा भुगतान की राशि–93.00 लाख। 6 गांव में कैम्प लगाकर मुआवजा भुगतान की कार्रवाई की जा रही है। 17 गांव में मुआवजा भुगतान करने हेतु नोटिस हितबद्ध रैयतों को किया गया है परंतु रैयतों द्वारा नये दर से मुआवजा भुगतान की मांग की जा रही है। पंचाट की घोषणा हो चुकी है। अतः मुआवजा भुगतान की राशि को हितवद्ध रैयतों को मुआवजा भुगतान करते हुये शेष राशि को सक्षम न्यायालय में जमा करते हुए अधियाची विभाग को दखल–कब्जा सौपने के संबंध में प्रधान सचिव महोदय द्वारा निदेश दिया गया। **रोहतास जिलान्तर्गत**– कुल प्राप्त राशि 15.00 करोड़ में से 6.23 करोड़ मुआवजा भुगतान हितवद्ध रैयतों को किया गया है। 10 रैयतों का मुआवजा भुगतान लंबित रहने के संबंध में निदेश दिया गया कि दिनांक 14.03.2016 तक मुआवजा भुगतान की राशि सक्षम न्यायालय में जमा करने हेतु निदेश दिया गया है।

32. एस0एच0–90–**गोपालगंज जिलान्तर्गत**–कुल प्राप्त राशि 37.00 करोड। मुआवजा भुगतान की राशि–5.77 करोड। दर निर्धारण एवं पंचाट लंबित रहने के संबंध में प्रधान सचिव महोदय द्वारा निदेश दिया गया कि RFCTLARR Act-2013 के प्रावधानों के तहत कार्रवाई सुनिश्चित किया जाय। शेष राशि सक्षम न्यायालय में जमा करने हेतु निदेशित किया गया। **सारण जिलान्तर्गत**–कुल प्राप्त राशि 8.00 करोड़। मुआवजा भुगतान की राशि–5.11 करोड़, शेष राशि अगले बैठक के पूर्व मुआवजा भुगतान करने हेतु निदेश दिया गया है।

33. एस0एच0–86–**मुजफ्फरपुर जिलान्तर्गत**–कुल प्राप्त राशि 21.77 करोड। मुआवजा भुगतान की राशि–7.50 करोड। शेष मुआवजा भुगतान की राशि दिनांक 17.03.16 तक मुआवजा भुगतान करने हेतु निदेश दिया गया।

34. एस0एच0–87–**सीतामढी जिलान्तर्गत**–कुल प्राप्त राशि 47.10 करोड। मुआवजा भुगतान की राशि–14.76 करोड। 20.00 करोड राशि, माह मार्च, 2016 के बैठक के पूर्व मुआवजा भुगतान करने हेतु निदेश दिया गया। हितबद्ध रैयतों को एल0पी0सी0 जारी करने के संबंध में प्रधान सचिव महोदय द्वारा समाहर्त्ता, सीतामढ़ी को दूरभाष के माध्यम से आवश्यक निदेश दिया गया है। 32 प्रस्ताव का प्राक्कलन स्वीकृत। 2 प्रस्ताव का प्राक्कलन समाहर्ता स्तर पर लंबित।

35. एस0एच0–91–**मधेपुरा जिलान्तर्गत**–कुल प्राप्त राशि 21.00 करोड। मुआवजा भुगतान की राशि–9.00 करोड। शेष मुआवजा भुगतान की राशि अगली माह की बैठक के पूर्व मुआवजा भुगतान करने हेतु प्रधान सचिव महोदय द्वारा निदेश दिया गया। **सुपौल जिलान्तर्गत**–कुल प्राप्त राशि 30.00 लाख। मुआवजा भुगतान की राशि–3.46 लाख। शेष मुआवजा भुगतान राशि अगली बैठक के पूर्व मुआवजा भुगतान करने हेतु प्रधान सचिव महोदय द्वारा निदेश दिया गया।

36. एस0एच0–83–**नवादा जिलान्तर्गत**–कुल प्राप्त राशि 3.40 करोड। मुआवजा भुगतान की राशि 0. 87 करोड़। **शेखपुरा जिलान्तर्गत**–कुल प्राप्त राशि 1.02 करोड। मुआवजा भुगतान की राशि 0.51 करोड़, शेष राशि अगले बैठक के पूर्व मुआवजा भुगतान करने हेतु प्रधान सचिव महोदय द्वारा निदेश दिया गया।

37. एस0एच0–88–**समस्तीपुर जिलान्तर्गत**–कुल प्राप्त राशि 76.85 करोड। मुआवजा भुगतान की राशि–51.10. करोड। शेष मुआवजा भुगतान की राशि अगली बैठक के पूर्व भुगतान करने हेतु निदेश दिया गया। **दरभंगा जिलान्तर्गत**–कुल प्राप्त राशि 35.45 करोड। मुआवजा भुगतान की राशि–16.00 करोड। मुआवजा भुगतान की गति में तीव्रता लाने हेतु निदेश दिया गया।

38. एस0एच0–89–**सीवान जिलान्तर्गत**–कुल प्राप्त राशि 18.77 करोड। मुआवजा भुगतान की राशि–शून्य।

39. भारत नेपाल सीमा पथ परियोजना–**पश्चिमी चम्पारण जिलान्तर्गत (बेतिया)**–91 प्रस्ताव आर0सी0डी0 से प्राप्त। दखल–कब्जा– 2 गांव। 23 प्रस्ताव का अधिसूचना/अधिघोषणा सरकार स्तर से निर्गत। **पूर्वी चम्पारण जिलान्तर्गत (मोतिहारी)**–48 प्रस्ताव आर0सी0डी0 से प्राप्त। 28 प्रस्ताव का अधिसूचना/अधिघोषणा सरकार स्तर से प्रकाशित तथा 8 गांव का अधिसूचना/अधिघोषणा त्रुटिनिराकरण हेतु जिला स्तर पर लंबित। **सीतामढ़ी जिलान्तर्गत** कुल–61 प्रस्ताव। दखल–कब्जा 05 गांवों। 55 प्रस्ताव जांच के प्रकियाधीन विभाग स्तर पर। 01 गांव में रेलवे से संबंधित भूमि। **मधुबनी जिलान्तर्गत** कुल–10 प्रस्ताव का अधिसूचना आयुक्त स्तर पर लंबित। **सुपौल जिलान्तर्गत** कुल 07 मौजा में से 5 मौजा में मुआवजा भुगतान की कार्रवाई जारी है। उक्त 05 मौजा में से 01 मौजा में दखल कब्जा प्राप्त। शेष 4 मौजों में अगली माह की बैठक के पूर्व दखल कब्जा सौंपने हेतु निदेश दिया गया। **अररिया जिलान्तर्गत** कुल–64 प्रस्ताव में से 26 प्रस्ताव विभाग स्तर पर प्राप्त। प्राप्त प्रस्ताव जांच के प्रकियाधीन। **किशनगंज जिलान्तर्गत** कुल–65 प्रस्ताव में से 65 प्रस्ताव सरकार स्तर पर प्राप्त। 16 प्रस्ताव में त्रुटिनिराकरण हेतु समाहर्त्ता, किशनगंज से 15 प्रस्ताव का त्रुटिनिराकरण प्रतिवेदन विभाग स्तर पर प्राप्त। शेष मौजा– चिचौरा का त्रुटिनिराकरण अप्राप्त।

40. **डेडीकेटेड फ्रेट कोरीडोरः–औरंगाबाद जिलान्तर्गत** 9.87 हे0 सरकारी भूमि हस्तांतरण के संबंध में उपस्थित पदाधिकारी को निदेश दिया गया कि दिनांक 15.03.16 तक प्रस्ताव तैयार कर विभाग स्तर पर उपलब्ध कराई जाय। RCD के पदाधिकारियों द्वारा बताया गया कि मौजा–सरसौली में प्लॉट नं0– 1987 एवं 1990 का अधिग्रहण रेलवे द्वारा किया गया है। उक्त दोनो प्लॉट पर RCD द्वारा पिलर स्थापित करने हेतु रेलवे के उपस्थित पदाधिकारियों से अनुमति देने के संबंध में अनुरोध किया गया है। उनके द्वारा यह भी अनुरोध किया गया कि उक्त मौजा में प्राथमिकता के आधार पर मुआवजा भुगतान की कार्रवाई रेलवे द्वारा सुनिश्चित किया जाय। **गया जिलान्तर्गत**– कुल 80 गांव में से 49 गांव का 20ई. की कार्रवाई पूर्ण। 49 गांव में आवार्ड घोषित। दखल–कब्जा – 06 गांव। 14.30 हेक0 सरकारी भूमि हस्तांतरण की प्रकिया जिला स्तर पर लंबित। अधियाची विभाग से प्राप्त राशि 24.54 करोड़। मुआवजा भुगतान की राशि 9.68 करोड। **रोहतास जिलान्तर्गत**– कुल प्रस्ताव 47 गांव । 47 गांव का आवार्ड घोषित। प्राप्त राशि 106.60 करोड़। मुआवजा भुगतान की राशि 89.98। मौजा–वासा में सिविल कोर्ट, द्वारा पारित आदेश के आलोक में मुआवजा भुगतान की कार्रवाई सुनिश्चित करने का निदेश दिया गया। **कैमूर जिलान्तर्गत**– कुल प्रस्ताव 49 गांव । 21 गांव का आवार्ड घोषित। प्राप्त राशि 92.00 करोड़। मुआवजा भुगतान की राशि 76.17। 11 गांव का मामला आब्रिट्रेशन में विचाराधीन ।

41. आधारभूत संरचना विकास प्राधिकरण के तहत विभिन्न भू अर्जन परियोजनाओं की समीक्षा की गई यथा–एन0टी0पी0सी0, पावर, लैण्ड बैंक एवं औद्योगिक पार्क।

42. विद्युत ताप गृह परियोजना, पीरपैंती, भागलपुर–अधिग्रहित रकवा–1179.08 हे0। दखल कब्जा–1001.40 हेक0। प्राप्त राशि–821.67 करोड। मुआवजा भुगतान की राशि–673.00 करोड। अधियाची विभाग को उपयोगिता प्रमाण पत्र उपलब्ध कराने हेतु जिला भू अर्जन पदाधिकारी, भागलपुर को निदेश दिया गया।

43. विद्युत ताप गृह परियोजना, चौसा, बक्सर–अधिग्रहित रकवा–1084.87 हे0। दखल कब्जा–1048.69 हेक0। प्राप्त राशि–354.62 करोड। मुआवजा भुगतान की राशि–204.00 करोड। अधियाची विभाग को उपयोगिता प्रमाण पत्र उपलब्ध कराने हेतु जिला भू अर्जन पदाधिकारी, बक्सर को निदेश दिया गया।

44. विद्युत ताप गृह परियोजना, कजरा, लखीसराय–अधिग्रहित रकवा–1262.65 हे0। दखल कब्जा–1089.08 हेक0। प्राप्त राशि–199.06 करोड़। मुआवजा भुगतान की राशि–207.00 करोड़। अधियाची विभाग को उपयोगिता प्रमाण पत्र उपलब्ध कराने हेतु जिला भू अर्जन पदाधिकारी, लखीसराय को निदेश दिया गया।

45. जनउपयोगी भू–अर्जन, नालंदा–अधिग्रहित रकवा–482.42 हे0। दखल कब्जा–364.68 हेक0। प्राप्त राशि–172.97 करोड़। मुआवजा भुगतान की राशि–140.00 करोड।

46. मेगा औद्योगिक पार्क, बिहटा, पटना–अधिग्रहित रकवा–299.85 हे0। दखल कब्जा–299.00 हेक0। प्राप्त राशि–300.00 करोड़। मुआवजा भुगतान की राशि–308.00 करोड़।

47. **हाजीपुर–रामदयालुनगर दोहरीकरण रेल परियोजना**:–एस0आई0ए0 के प्रकियाधीन।

48. **कोशी महासेतु सुपौल**:–सरकारी भूमि का रैयतीकरण के बाद सामाजिक मूल्यांकन अध्ययन हेतु आद्री, पटना को जिला भू–अर्जन पदाधिकारी, सुपौल द्वारा प्रेषित किया गया है। उक्त परियोजना में लंबित मुआवजा भुगतान के संबंध में निदेश दिया गया कि अविलम्ब हितबद्ध रैयतों को मुआवजा भुगतान सुनिश्चित किया जाय।

49. **कुशेश्वर स्थान खगडिया रेल लाईन**–खगडिया जिलान्तर्गत–कुल 12 प्रस्ताव में से 12 प्रस्ताव का पंचाट घोषित। ग्राम–चेराखेरा का प्रस्ताव त्रुटिपूर्ण होने के कारण अधियाची विभाग को प्रस्ताव वापस किया गया है। प्राप्त राशि–12.64 करोड। मुआवजा भुगतान की राशि–05.33 करोड़। **दरभंगा जिलान्तर्गत**–कुल 7 प्रस्ताव में से 7 प्रस्ताव का पंचाट घोषित। परन्तु प्राक्कलन लंबित। इस संबंध में जिला भू–अर्जन पदाधिकारी, दरभंगा को निदेश दिया गया कि मामले को विभाग स्तर पर प्रेषित किया जाय।

50. **तिलैया कोडरमा रेल लाईन–नवादा जिलान्तर्गत** कुल 30 प्रस्ताव। 20 प्रस्ताव का पंचाट घोषित। 10 गांव में शत–प्रतिशत मुआवजा भुगतान किया गया। रैयतों द्वारा पुराने दर से राशि प्राप्त करने से इंकार किया गया। मुआवजा भुगतान की शेष राशि से हितबद्ध रैतयों को मुआवजा भुगतान करते हुए सक्षम न्यायालय में जमा करने हेतु निदेश दिया गया। चौवे गांव में मुआवजा भुगतान की कार्रवाई पूर्ण। ग्राम– राजाविगहा में मुआवजा भुगतान की कार्रवाई प्रकियाधीन।

51. **राजगीर तिलैया नई रेल लाईन–नवादा जिलान्तर्गत** कुल प्रस्ताव 13। 8 प्रस्ताव का पंचाट घोषित। दलख कब्जा–13 प्रस्ताव में। प्राप्त राशि 8.96 करोड़। मुआवजा भुगतान की राशि 1.80 करोड़। लक्ष्य– 3.00 करोड़

52. **दनियावा–नेउरा रेल लाईन–पटना जिलान्तर्गत**– कुल प्रस्ताव 45। 36 प्रस्ताव का पंचाट घोषित। दखल कब्जा–44 प्रस्ताव में। प्राप्त राशि–47.49 करोड। मुआवजा भुगतान की राशि–45.76 करोड़। ग्राम– जमालपुर में SIA कराने हेतु निदेश दिया गया है। मौजा– चामुचक मझौली का अधियाचना अप्राप्त।

53. **बिहारशरीफ–बरबीघा–शेखपुरा नई रेल लाईन–शेखपुरा जिलान्तर्गत**– कुल प्रस्ताव 28। प्रस्ताव का पंचाट घोषित। दखल कब्जा–26, प्राप्त राशि–13.25 करोड। मुआवजा भुगतान की राशि–7.00 करोड। अगली माह की बैठक से पूर्व शेष मुआवजा राशि भुगतान करने हेतु निदेश दिया गया।

54. **बिहारशरीफ–बरबीघा नई रेल लाईन–नालंदा जिलान्तर्गत**–कुल प्रस्ताव–1, प्रस्ताव का पंचाट घोषित। दखल कब्जा–01, प्राप्त राशि–0.56 करोड। मुआवजा भुगतान की राशि–0.16 करोड। अगली माह की बैठक से पूर्व शेष मुआवजा राशि भुगतान करने हेतु निदेश दिया गया।

55. **दनियावा–बिहारशरीफ नई रेल लाईन–नालंदा जिलान्तर्गत**–इस परियोजना से संबंधित माननीय उच्च न्यायालय में लंबित वाद में रेलवे को पक्षकार बनने हेतु रेलवे के उपस्थित पदाधिकारी को निदेश दिया गया है।

56. **हाजीपुर–वैशाली रेल लाईन–वैशाली जिलान्तर्गत**– संरचना/मकान का मुआवजा भुगतान की कार्रवाई लंबित। जिला भू–अर्जन पदाधिकारी, वैशाली द्वारा बताया गया कि मौजा– घोसवार में 5 रैयतों का मुआवजा भुगतान लंबित है।

57. **बाढ़–बख्तियारपुर रेल लाईन– पटना जिलान्तर्गत** कुल 11 रैयतों का मुआवजा भुगतान लंबित रहने के संबंध में जिला भू–अर्जन पदाधिकारी, पटना द्वारा बताया गया कि 6 रैयतों का मुआवजा भुगतान किया गया शेष 5 रैयतों का मुआवजा भुगतान दिनांक 29.2.16 तक करने हेतु निदेश दिया गया। मौजा– सबनिमा एवं रानीसराय में पेड़ों का मूल्यांकन प्रतिवेदन वन विभाग से अप्राप्त रहने के कारण अग्रेतर कार्रवाई लंबित। मौजा– मुहम्मदपुर एवं करनौती में दिनांक 15.03.15 तक मुआवजा भुगतान की कार्रवाई सुनिश्चित करने हेतु निदेश दिया गया है।

58. **नटेश्वर–इस्लामपुर रेल लाईन– नालन्दा जिलान्तर्गत**– मौजा–पनहर में 29.02.16 तक मुआवजा भुगतान करने एवं मौजा– परशुराम से संबंधित राशि कोर्ट में जमा करने हेतु निदेश दिया गया है। **गया जिलान्तर्गत**– मौजा– गरैविघा में दिनांक 29.02.16 तक मुआवजा भुगतान करने हेतु निदेश दिया गया।

59. **राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम–1956** के तहत अधिग्रहित भूमि का मुआवजा राशि निर्धारण एवं भुगतान के संबंध में तथा एन0एच0ए0आई0 से संबंधित चल रही विभिन्न परियोजनाओं के भू–अर्जन कार्य की प्रगति की समीक्षा सभी जिला भू–अर्जन पदाधिकारी के साथ की गई।

60. **एन0 एच0–57ए. परियोजना**:–अररिया जिलान्तर्गत प्राप्त राशि–64.99 करोड। मुआवजा भुगतान की राशि–62.00 करोड। 19 मामलों में कन्सेन्ट के आधार पर मुआवजा भुगतान की कर्रवाई एन0एच0ए0आई0 स्तर पर लंबित। शेष मुआवजा भुगतान की राशि सक्षम न्यायालय में जमा करने हेतु निदेश दिया गया है। 4.96 हैव0 का 3 जी0 प्रस्ताव एन0एच0ए0आई0 स्तर पर लंबित।

61. **एन0 एच0 02 (6 लेन औरंगाबाद से वाराणसी) परियोजना**:– **औरंगाबाद जिलान्तर्गत** 26 ग्राम में से 26 ग्राम का पंचाट घोषित। 23 ग्राम में दखल–कब्जा प्राप्त। प्राप्त राशि–173.00 करोड। मुआवजा भुगतान की राशि–46.00 करोड। **कैमूर जिलान्तर्गत** 34 मौजा में से 34 मौजा का अवार्ड घोषित। 34 मौजा का दखल–कब्जा अधियाची विभाग को प्राप्त। अधियाची विभाग से प्राप्त राशि–131.46 करोड़ में से 81.76 करोड़ राशि हितबद्ध रैयतों को मुआवजा भुगतान किया गया है। **रोहतास जिलान्तर्गत कुल प्रस्ताव 26** में से 22 प्रस्ताव का पंचाट घोषित, शेष 4 प्रस्ताव का आवार्ड NHAI पर लंबित। प्राप्त राशि–78.70 करोड। मुआवजा भुगतान की राशि–57. 66 करोड। सात करोड़ और राशि अगले बैठक तक मुआवजा भुगतान करने हेतु निदेश दिया गया।

62. **एन0 एच0–02 (6 लेन औरंगाबाद से बरवाअड्डा) परियोजना**:–**औरंगाबाद जिलान्तर्गत** कुल 10 प्रस्ताव में से 9 प्रस्ताव का अवार्ड घोषित। 1 मौजा डि–नोटिफाई करने के संबंध में एन0एच0ए0आई0 को पुनः निदेश दिया गया। कुल–15.1931 हे0 सरकारी भूमि में से 5.22 हे0

केसरे हिन्द भूमि/भारत सरकार से संबंधित रहने के कारण एक सप्ताह के भीतर अधियाची विभाग को सौपने का निदेश दिया गया तथा 6.65 हे0 राज्य सरकार की भूमि से संबंधित प्रस्ताव तैयार कर अविलम्ब निदेशालय स्तर पर भेजने हेतु निदेश दिया गया। 3 हे0 सरकारी भूमि का हस्तांतरण हेतु प्रस्ताव आयुक्त स्तर पर लंबित। 3 गांवा में मुआवजा भुगतान हेतु हितबद्ध रैयतों को नोटिस भेजा गया है। **गया जिलान्तर्गत** 11.3 हेक0 सरकारी भूमि का प्रस्ताव जिला स्तर पर लंबित। अधियाची विभाग से प्राप्त राशि–130.00 करोड़ में से 22.61 करोड़ राशि हितबद्ध रैयतों को मुआवजा भुगतान की गई है।

63. **एन0 एच0–30 एवं 84:– बक्सर जिलान्तर्गत 42** ग्राम में से 42 ग्राम का पंचाट घोषित। 42 ग्राम का दखल–कब्जा प्राप्त। अधियाची विभाग से प्राप्त राशि–102.00 करोड़ में से 11.12 करोड़ राशि हितबद्ध रैयतों को मुआवजा भुगतान किया गया है। शेष मुआवजा भुगतान के संबंध में जिला भू–अर्जन पदाधिकारी, बक्सर द्वारा बताया गया कि रैयतों द्वारा मुआवजा भुगतान की राशि प्राप्त नहीं की जा रही है। **मोजपुर जिलान्तर्गत** 55 ग्राम में से 55 ग्राम का पंचाट घोषित। 47 ग्राम का दखल–कब्जा प्राप्त। कुल प्राप्त 55.00 करोड राशि में से 11.12 करोड मुआवजा राशि हितबद्ध रैयतों को भुगतान किया गया है। कैम्प लगाकर मुआवजा भुगतान करने हेतु निदेश दिया गया। **पटना जिलान्तर्गत**– कुल प्राप्त राशि 973.00 करोड, मुआवजा भुगतान की राशि 446.00 करोड। कैम्प लगाकर मुआवजा भुगतान करने हेतु निदेश दिया गया।

64. **एन0 एच0–83 (पटना–गया–डोभी):–गया जिलान्तर्गत कुल प्रस्ताव** 62 ग्राम, 62 का पंचाट घोषित। 61 ग्राम का दखल–कब्जा प्राप्त। कुल प्राप्त 130.00 करोड, मुआवजा भुगतान की राशि 96.18 करोड। 207 मामला आर्बिट्रेशन में लंबित। **जहानाबाद जिलान्तर्गत** 70 मामले का पंचाट आर्बिट्रेशन के निर्णय के आधार पर तैयार कर NHAI को प्रेषित। कुल 125.00 करोड प्राप्त राशि में 55.24 करोड राशि हितबद्ध रैयतों को मुआवजा भुगतान किया गया है। **पटना जिलान्तर्गत** सभी 31 गांव का दखल–कब्जा अधियाची विभाग को सौंपा गया है। कुल 853.00 करोड प्राप्त राशि में 495.00 करोड राशि हितबद्ध रैयतों को मुआवजा भुगतान किया गया है। वकास्त भूमि से संबधित प्रस्ताव जिला स्तर पर लंबित।

65. **एन0 एच0–82 (बिहारशरीफ–बरबीघा–मोकामा):**–नालंदा जिलान्तर्गत कुल 11 गांव में से 11 गांव का अवार्ड घोषित। कुल प्राप्त राशि–80.00 करोड। मुआवजा भुगतान की राशि–2.00 करोड़। कैम्प लगाकर मुआवजा भुगतान करने हेतु निदेश दिया गया।

66. **गंगा रेल–सह–राडक पुल का पहुँच पथ मुंगेर –मुंगेर** जिलान्तर्गत 3(D) प्रस्ताव जिला स्तर पर सत्यापन हेतु लंबित। उक्त प्रस्ताव में अधियाची विभाग द्वारा 3(D) प्रारूप में खतियानी रैयतों का नाम अंकित कर दिये जाने के कारण अग्रेतर कार्रवाई लंबित। 3(D) प्रस्ताव में वर्त्तमान रैयतों का नाम अंकित करते हुए 3(D) प्रस्ताव जिला भू अर्जन पदाधिकारी, मुंगेर को उपलब्ध कराने हेतु अधियाची विभाग को निदेश दिया गया।

67. **एन0 एच0–85 (छपरा–गोपालगंज):**–गोपालगंज जिलान्तर्गत कुल प्राप्त राशि 26.00 करोड़, मुआवजा भुगतान की राशि 18.00 करोड। **सिवान जिलान्तर्गत** 18 ग्राम में से 7 का पंचाट घोषित। शेष 11 ग्राम का 3जी. एन0एच0ए0आइ0 के स्तर पर लंबित। 07 ग्राम का दखल–कब्जा प्राप्त। कुल प्राप्त 53.50 करोड़ राशि में से 23.50 करोड़ राशि मुआवजा हितबद्ध रैयतों को भुगतान किया गया है। **सारण जिलान्तर्गत** 5 ग्राम में से 5 का पंचाट घोषित। 05 ग्राम का दखल–कब्जा प्राप्त। कुल प्राप्त 12.44 करोड राशि में से 11.01 करोड़ राशि का मुआवजा भुगतान हितबद्ध रैयतों को किया गया है।

68. **एन0 एच0–77 (मुज0–सोनवरसा):**–मुजफ्फरपुर जिलान्तर्गत बेदौल असली की समस्या को एक सप्ताह के अंदर हल करने हेतु जिला भू अर्जन पदाधिकारी, मुजफ्फरपुर को निदेश दिया गया।

69. एन0 एच0–19 (छपरा–हाजीपुर):–सारण जिलान्तर्गत 79 ग्राम में से 79 का पंचाट घोषित। 79 ग्राम का दखल–कब्जा प्राप्त। कुल प्राप्त 243.0 करोड़ राशि में से 242.00 करोड मुआवजा राशि हितबद्ध रैयतों को भुगतान किया गया है।

70. एन0 एच0–31 (खगडिया–बख्तियारपुर):–पटना जिलान्तर्गत 48 ग्राम में से 45 का पंचाट घोषित। 22 ग्राम का दखल–कब्जा प्राप्त। कुल प्राप्त 71.00 करोड राशि में से 49.00 करोड मुआवजा राशि हितबद्ध रैयतों को भुगतान किया गया है।

71. भू–अर्जन से संबंधित माननीय पटना उच्च न्यायालय में दायर प्रथम अपील, सी0 डब्लू0 जे0 सी0, एल0 पी0 ए0, इत्यादि मामलों का निष्पादन हेतु वांछित कार्रवाई ससमय पूरा करने का निदेश सभी जिला भू–अर्जन पदाधिकारी/प्रभारी जिला भू–अर्जन पदाधिकारी को पुनः दिया गया। बैठक में इस तथ्य से भी अवगत कराया गया कि माननीय उच्च न्यायालय, पटना में दायर विभिन्न वादों में पारित न्यायादेश का अनुपालन ससमय किया जाय। न्यायादेश का अनुपालन में विलंब होने के कारण माननीय उच्च न्यायालय, पटना में सरकार के विरूद्ध अवमाननावाद याचिकाकर्त्ताओं द्वारा दायर किये जाते हैं। फलस्वरूप सरकार स्तर पर अनावश्यक समस्याएं उत्पन्न होती हैं तथा राजकीय कोष का अपव्यय भी होता है।

72. जिन शिकायत एवं सूचना के अधिकार अधिनियम के तहत् लंबित मामलों को यथाशीघ्र निष्पादन करने हेतु सभी जिला भू–अर्जन पदाधिकारियों/प्रभारी जिला भू–अर्जन पदाधिकारियों निदेश दिया गया।

सधन्यवाद ज्ञापन के साथ बैठक का समापन किया गया।

(वीरेन्द्र कुमार मिश्र)
निदेशक,
भू–अर्जन, बिहार।

/.

ज्ञापांकः—14/डी0एल0ए0—बैठक (जि0भू0अ0पदा0)—कार्यवाही—19/2011...357/ल0...पटना, दिनांक—08-03-2016.

प्रतिलिपिः—

1. मुख्य सचिव, बिहार, पटना के विशेष कार्य पदाधिकारी को सादर सूचनार्थ प्रेषित।
2. विकास आयुक्त, बिहार, पटना के आप्त सचिव को सादर सूचनार्थ प्रेषित।
3. प्रधान सचिव के प्रधान आप्त सचिव, राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।
4. प्रधान सचिव, जल संसाधन विभाग के प्रधान आप्त सचिव को सूचनार्थ प्रेषित।
5. प्रधान सचिव, उद्योग विभाग/प्रबंध निदेशक, आधारभूत संरचना विकास प्राधिकार, पटना को सूचनार्थ प्रेषित।
6. प्रधान सचिव, पथ निर्माण विभाग बिहार, पटना को सूचनार्थ प्रेषित।
7. प्रधान सचिव, उर्जा विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ प्रेषित।
8. प्रमंडलीय आयुक्त, पटना/भागलपुर/मुंगेर/मगध/पुर्णियां/कोसी/सारण/तिरहुत/दरभंगा को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।
9. सचिव, वन एवं पर्यावरण विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ प्रेषित।
10. सचिव, लघु सिंचाई विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ प्रेषित।
11. सभी समाहर्त्ता/सभी अपर समाहर्त्ता को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।
12. सभी जिला भू—अर्जन पदाधिकारी को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।
13. मुख्य प्रशासनिक पदाधिकारी (निर्माण), पूर्व मध्य रेलवे, महेन्द्रूघाट, पटना को सूचनार्थ प्रेषित।
14. उप मुख्य अभियंता/नि0/भूमि/महेन्द्रूघाट, पटना को सूचनार्थ प्रेषित।
15. प्रवंधक (मानव संसाधन), एन.टी.पी.सी. बाढ़, पटना को सूचनार्थ प्रेषित।
16. उप महाप्रबंधक (एस0टी0), पावरग्रीड कॉरपोरेशन, द्वितीय तल, अलंकार पैलेस, बोरिंग रोड, पटना—800001 को सूचनार्थ प्रेषित।
17. कार्यपालक निदेशक, राष्ट्रीय जल विधुत पावर कॉरपोरेशन लिमिटेड, विधुत भवन—II, बेली रोड, पटना।
18. उप मुख्य अभियंता/निर्माण, पूर्व मध्य रेलवे, हाजीपुर को सूचनार्थ प्रेषित।
19. उप मुख्य अभियंता, गंगा ब्रीज, पटना को सूचनार्थ प्रेषित।
20. अधीक्षण अभियंता, एस0एस0बी0 मुख्यालय, रूकनपुरा, बेली रोड, पटना को सूचनार्थ प्रेषित।
21. परियोजना निदेशक, एन0एच0ए0आई0, डी0—63, श्री कृष्णापुरी, पटना को सूचनार्थ प्रेषित।
22. प्रबंधक, (तकनीकी), पी0आई0यू0, एन0एच0ए0आई0, दरभंगा को सूचनार्थ प्रेषित।
23. प्रबंध निदेशक, बिहार राज्य पुल निगम, पटना को सूचनार्थ प्रेषित।
24. निदेशक, एल0 एन0 मिश्रा आर्थिक अध्ययन एवं सामाजिक परिवर्तन संस्थान, पटना/ए0 एन0 सिन्हा समाज अध्ययन संस्थान, पटना/चन्द्रगुप्त प्रबंधन संस्थान, पटना एवं आद्री, पटना को सूचनार्थ प्रेषित।
25. मुख्य परियोजना प्रबंधक, डी0एफ0सी0सी0आई0एल0, मुगलसराय/कोलकाता को सूचनार्थ प्रेषित।

(बीरेन्द्र कुमार मिश्र)
निदेशक,
भू—अर्जन, बिहार।

ज्ञापांकः—14/डी.एल.ए.—बैठक (जि0भू0अ0पदा0)—कार्यवाही—19/2011—357...पटना, दिनांक—08-03-2016.

प्रतिलिपिः—आप्त सचिव, माननीय मंत्री, राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ।

निदेशक,
भू—अर्जन, बिहार।

ज्ञापांकः—14/डी.एल.ए.—बैठक (जि0भू0अ0पदा0)—कार्यवाही—19/2011—357/ल0...पटना, दिनांक—08-03-2016.

प्रतिलिपिः—आई0टी0 मैनेजर, राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग, बिहार, पटना को विभागीय बेवसाईट पर अपलोड करने हेतु सूचनार्थ प्रेषित।

निदेशक,
भू—अर्जन, बिहार।

D:\Pappu\Niranjan ji\2016\Proceeding\Proceeding_20-02-2016.docx

ज्ञापांकः–14 / डी0एल0ए0–बैठक (जि0भू0अ0पदा0)–कार्यवाही–19 / 2011.....पटना, दिनांक–.....2016.

प्रतिलिपिः–

1. मुख्य सचिव, बिहार, पटना के विशेष कार्य पदाधिकारी को सादर सूचनार्थ प्रेषित।
2. विकास आयुक्त, बिहार, पटना के आप्त सचिव को सादर सूचनार्थ प्रेषित।
3. प्रधान सचिव के प्रधान आप्त सचिव, राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।
4. प्रधान सचिव, जल संसाधन विभाग के प्रधान आप्त सचिव को सूचनार्थ प्रेषित।
5. प्रधान सचिव, उद्योग विभाग / प्रबंध निदेशक, आधारभूत संरचना विकास प्राधिकार, पटना को सूचनार्थ प्रेषित।
6. प्रधान सचिव, पथ निर्माण विभाग बिहार, पटना को सूचनार्थ प्रेषित।
7. प्रधान सचिव, उर्जा विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ प्रेषित।
8. प्रमंडलीय आयुक्त, पटना / भागलपुर / मुंगेर / मगध / पुर्णियां / कोसी / सारण / तिरहुत / दरभंगा को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।
9. सचिव, वन एवं पर्यावरण विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ प्रेषित।
10. सचिव, लघु सिंचाई विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ प्रेषित।
11. सभी समाहर्त्ता / सभी अपर समाहर्त्ता को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।
12. सभी जिला भू–अर्जन पदाधिकारी को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।
13. मुख्य प्रशासनिक पदाधिकारी (निर्माण), पूर्व मध्य रेलवे, महेन्द्रूघाट, पटना को सूचनार्थ प्रेषित।
14. उप मुख्य अभियंता / नि0 / भूमि / महेन्द्रूघाट, पटना को सूचनार्थ प्रेषित।
15. प्रबंधक (मानव संसाधन), एन.टी.पी.सी. बाढ़, पटना को सूचनार्थ प्रेषित।
16. उप महाप्रबंधक (एस0टी0), पावरग्रीड कॉरपोरेशन, द्वितीय तल, अलंकार पैलेस, बोरिंग रोड, पटना–800001 को सूचनार्थ प्रेषित।
17. कार्यपालक निदेशक, राष्ट्रीय जल विधुत पावर कॉरपोरेशन लिमिटेड, विधुत भवन–II, बेली रोड, पटना।
18. उप मुख्य अभियंता / निर्माण, पूर्व मध्य रेलवे, हाजीपुर को सूचनार्थ प्रेषित।
19. उप मुख्य अभियंता, गंगा ब्रीज, पटना को सूचनार्थ प्रेषित।
20. अधीक्षण अभियंता, एस0एस0बी0 मुख्यालय, रूकनपुरा, बेली रोड, पटना को सूचनार्थ प्रेषित।
21. परियोजना निदेशक, एन0एच0ए0आई0, डी0–63, श्री कृष्णापुरी, पटना को सूचनार्थ प्रेषित।
22. प्रबंधक, (तकनीकी), पी0आई0यू0, एन0एच0ए0आई0, दरभंगा को सूचनार्थ प्रेषित।
23. प्रबंध निदेशक, बिहार राज्य पुल निगम, पटना को सूचनार्थ प्रेषित।
24. निदेशक, एल0 एन0 मिश्रा आर्थिक अध्ययन एवं सामाजिक परिवर्तन संस्थान, पटना / ए0 एन0 सिन्हा समाज अध्ययन संस्थान, पटना / चन्द्रगुप्त प्रबंधन संस्थान, पटना एवं आद्री, पटना को सूचनार्थ प्रेषित।
25. मुख्य परियोजना प्रबंधक, डी0एफ0सी0सी0आई0एल0, मुगलसराय / कोलकाता को सूचनार्थ प्रेषित।

ह0 /–
(वीरेन्द्र कुमार मिश्र)
निदेशक,
भू–अर्जन, बिहार।

ज्ञापांकः–14 / डी.एल.ए.–बैठक (जि0भू0अ0पदा0)–कार्यवाही–19 / 2011-357/D पटना, दिनांक–08-03-2016.

प्रतिलिपिः–आप्त सचिव, माननीय मंत्री, राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ।

निदेशक,
भू–अर्जन, बिहार।

ज्ञापांकः–14/डी0एल0ए0–बैठक (जि0भू0अ0पदा0)–कार्यवाही–19/2011...357/2 पटना, दिनांक–08-03-2016.

प्रतिलिपिः–

1. मुख्य सचिव, बिहार, पटना के विशेष कार्य पदाधिकारी को सादर सूचनार्थ प्रेषित।
2. विकास आयुक्त, बिहार, पटना के आप्त सचिव को सादर सूचनार्थ प्रेषित।
3. प्रधान सचिव के प्रधान आप्त सचिव, राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।
4. प्रधान सचिव, जल संसाधन विभाग के प्रधान आप्त सचिव को सूचनार्थ प्रेषित।
5. प्रधान सचिव, उद्योग विभाग/प्रबंध निदेशक, आधारभूत संरचना विकास प्राधिकार, पटना को सूचनार्थ प्रेषित।
6. प्रधान सचिव, पथ निर्माण विभाग बिहार, पटना को सूचनार्थ प्रेषित।
7. प्रधान सचिव, उर्जा विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ प्रेषित।
8. प्रमंडलीय आयुक्त, पटना/भागलपुर/मुंगेर/मगध/पुर्णियां/कोसी/सारण/तिरहुत/दरभंगा को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।
9. सचिव, वन एवं पर्यावरण विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ प्रेषित।
10. सचिव, लघु सिंचाई विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ प्रेषित।
11. सभी समाहर्त्ता/सभी अपर समाहर्त्ता को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।
12. सभी जिला भू–अर्जन पदाधिकारी को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।
13. मुख्य प्रशासनिक पदाधिकारी (निर्माण), पूर्व मध्य रेलवे, महेन्द्रूघाट, पटना को सूचनार्थ प्रेषित।
14. उप मुख्य अभियंता/नि0/भूमि/महेन्द्रूघाट, पटना को सूचनार्थ प्रेषित।
15. प्रवंधक (मानव संसाधन), एन.टी.पी.सी. बाढ़, पटना को सूचनार्थ प्रेषित।
16. उप महाप्रबंधक (एस0टी0), पावरग्रीड कॉरपोरेशन, द्वितीय तल, अलंकार पैलेस, बोरिंग रोड, पटना–800001 को सूचनार्थ प्रेषित।
17. कार्यपालक निदेशक, राष्ट्रीय जल विधुत पावर कॉरपोरेशन लिमिटेड, विधुत भवन–II, बेली रोड, पटना।
18. उप मुख्य अभियंता/निर्माण, पूर्व मध्य रेलवे, हाजीपुर को सूचनार्थ प्रेषित।
19. उप मुख्य अभियंता, गंगा ब्रीज, पटना को सूचनार्थ प्रेषित।
20. अधीक्षण अभियंता, एस0एस0बी0 मुख्यालय, रूकनपुरा, बेली रोड, पटना को सूचनार्थ प्रेषित।
21. परियोजना निदेशक, एन0एच0ए0आई0, डी0–63, श्री कृष्णापुरी, पटना को सूचनार्थ प्रेषित।
22. प्रबंधक, (तकनीकी), पी0आई0यू0, एन0एच0ए0आई0, दरभंगा को सूचनार्थ प्रेषित।
23. प्रबंध निदेशक, बिहार राज्य पुल निगम, पटना को सूचनार्थ प्रेषित।
24. निदेशक, एल0 एन0 मिश्रा आर्थिक अध्ययन एवं सामाजिक परिवर्तन संस्थान, पटना/ए0 एन0 सिन्हा समाज अध्ययन संस्थान, पटना/चन्द्रगुप्त प्रबंधन संस्थान, पटना एवं आद्री, पटना को सूचनार्थ प्रेषित।
25. मुख्य परियोजना प्रबंधक, डी0एफ0सी0सी0आई0एल0, मुगलसराय/कोलकाता को सूचनार्थ प्रेषित।

(वीरेन्द्र कुमार मिश्र)
निदेशक,
भू–अर्जन, बिहार।

D:\Pappu\Niranjan ji\2016\Proceeding\Proceeding_20-02-2016.docx